संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश 29-ए, ''खनिज भवन'' अरेरा हिल्स, भोपाल'

कार्यालय

फोन एवं फैक्स : 0755-2551795

16914

नस्ती क्रमांक०३/एम.पी./सेल-४/२०१८,

-0--

भोपाल, दिनांक 12,111/18

क्रमांक प्रति.

मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा०लि० ६ कि०मी० सागररोड ढढारी छत्तरपुर जिला-छ्तरपुर

विषय ः

जिला टीकमगढ़ तहसील जतारा के ग्राम माचीगढ़ पर प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृती खनिज पायरोपलाइट एवं डायस्पोर वनकक्ष क्रमांक पी-262 के रकबा 19.00 हेक्टेयर के मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के अधीन जमा किये गये माइनिंग प्लान का अनुमोदन।

संदर्भ : आपके द्वारा प्रस्तुत माइनिंग प्लान दिनाक 05.09.18

उपरोक्त संदर्भ विषयांतर्गत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन तथा राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 19-3/2016/12/1 दिनांक 04.04.2016 के अनुरूप एतद्द्वारा जिला टीकमगढ़ तहसील जतारा के ग्राम मांचीगढ़ पर स्वीकृत खनिज पायरोफ्लाइट एवं डायस्पोर वनकक्ष पी क्रमांक पी-262 के रकवा 19.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर आवेदक मेसर्स खजुरहो मिनरल्स प्रा0लि0 के पक्ष में माइनिंग प्लान का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यह अनुमोदन सहायक,भौमिकीविद् संचालनालय,भौमिकी तथा खनिकर्म मुख्यालय भोपाल की टीप के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

- इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किये गये कानूनों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
- 2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस माइनिंग प्लान के अनुमोदन में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 अथवा खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 सहित दूसरे अन्य कानूनों के किन्हीं अन्य प्रावधानों के लिए किसी भी प्रकार से सरकार का अनुमोदन समाविष्ट नहीं होता है।
- 3) इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य आदेश या निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।
- 4) आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश क्रमांक डव्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक 202/95, दिनांक 12.12.1996 की ओर अनुपालन हेतु आकर्षित किया जाता है। अतः इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।
- 5) a) Provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and/Regulations made there under including submission of notice of opening, appointment of Manager and other statutory order as required by Mines Act, 1952 shall be complied with.



- The execution of Scheme of Mining shall be subject to vacation of prohibitory orders/notices, if any.
- c) If anythings is found to be concealed as required by the Mines Act in the contents of the mining shome and the proposal for rectification has not been made the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.
- 6) Yearly report as required under Rule-42 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule, 1996 setting forth the extent of protection and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan and if there any deviation reasons thereof shall be submitted before 1st July of every year to the concerned Collector and Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh.
- 7) The Financial Assurance submitted by you as per earlier existing Rule (MCDR, 1988) with IBM is required to be transferred to concerned Collector for statutory compliance as per Rule, MPMMR 1996.
- 8) At any stage, if it is observed that the information furnished in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.
- 9) The next scheme of mining will be due for submission on 120 days before the date of expiry of validity period of this Scheme.
- 10) The approval is given for the received proposals is applicable from this date.
- 11) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के अनुसार खान में खनन कार्य अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार किया जाये इस हेतु खान मालिक माइनिंग प्लान की एक प्रति अपनी खान पर स्थित कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखेगा साथ ही खान के खनन अभियंता, खान प्रबंधक या अन्य कोई जवाबदार व्यक्ति जो कि खान से संबंधित समस्त कार्यो का प्रभारी हो, को उसके दिन प्रतिदिन क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगा, जिससे खनन कार्य अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुरूप किया जा सके।
- 12) As per Madhya Pradesh State Government's order dated 10/08/2011 if there is enhancement of production proposed from that in the approved mining plan. Under such circumstances additional stamp duty has to be paid by the lessee for the enhanced quantum of production and also a supplementary agreement has to be executed by the lessee.
- 13) a) A copy of Environment Impact Assessment-Environment Management Plan (EIA-EMP) as approved by MoEF (Ministry of Environment & Forests) as per notification dated 14.09.2006 shall be submitted to this office as well as office of the concerned Collector immediately after approval by MoEF alongwith a copy of their approval letter, before commencement of Mining operation.
 - A copy of consent/permission issued under above notification shall be submitted to this office as well as office of the concerned Collector immediately after approval by authority.
- 14) It is also made clear that the Georeferenced co-ordinates mentioned in mining Plan shall be corrobareted by the executing authority any mismatch or discrepancy of coordinates with the Bold demarcation/iease boundary shall hold lessee& RQp responsible & liable and accordingy action shll be taken against them.



15) उपरोक्तानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान की दो प्रतियाँ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है, कि एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न :-अनुमोदित माइनिंग प्लान की तीन प्रतियाँ।

भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक नस्ती क्रमांक ०३/एम.पी./सेल-४/२०१८ प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रकीम नम्बर 11,कमला नेहरू नगर, जबलपुर (म.प्र.) की ओर अनुमोदित खनन प्लान की शर्त क्रमांक 7 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी,प्लाट नं.1936 से 1949 जेडीए स्कीम नं.5, जॉय स्कूल के पीछे,विजय नगर,जिला जबलपुर,म.प्र. पिनकोड −482002की ओर सूचनार्थ।
- कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4. मान्यता प्राप्त व्यक्ति (आर.क्यू.पी.)श्री रामचंद बंसल (आर.क्यू.पी) व्दारा मेसर्स बलराम सिंह एसोसिएट प्राoलिo चोपड़ा कालोनी पोस्ट ऑफिस मैहर, जिला– सतना (म०प्रo) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

